मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 27, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 145 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 145 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

श्री चैतन्य कुमार काश्यप, सदस्य के महाविद्यालयीन छात्रों को स्मार्ट फोन के वितरण सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 3 (*क्र. 2804) पर श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी के माध्यम से अनुरोध कर श्री जितू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री से संतोषजनक उत्तर देने की लगातार मांग की गई. इसी मध्य अन्य सदस्य बोलने लगे, सदन में व्यवधान के कारण 11.24 बजे से कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.29 बजे पुन: समवेत हुई.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि माननीय उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी आपका जवाब देने के लिये तैयार हैं, कृपया कर आप शांतिपूर्वक जवाब सुने. आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं कि जैसा आप चाहे वैसा मंत्री उत्तर दे. मंत्री नियम कायदे के अंतर्गत और जो उनकी सीमायें और क्षमतायें हैं, उनके अनुरूप आपको उत्तर दे रहे हैं. परन्तु प्रतिपक्ष के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि यह पूर्व से विद्यमान परंपरा के अनुसार उदाहरण रहा है कि हम मंत्री को आपके अनुरूप उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकते.

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया, किन्तु व्यवधान के कारण पुन: 11.35 बजे सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की जाकर 12.03 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

2. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) चिकित्सा प्राध्यापकगण एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स द्वारा हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि –

(क) प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रोफेसर्स हड़ताल पर हैं. प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है. हजारों मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं, वे लॉन या कॉरीडोर्स में बैठे तड़प रहे हैं. अनेक की मृत्यु भी हो चुकी है. (ख) प्रदेश के एक लाख से ज्यादा कम्प्यूटर आपरेटर्स हड़ताल पर जाने के कारण दफ्तरों में काम नहीं हो रहा है. इन दोनों विषयों पर माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण की सूचनायें दी है. आप जल्दी से जल्दी इन पर चर्चा करवाये और यदि संभव हो तो आप मंत्री महोदया या संबंधित मंत्री हैं उनको अभी निर्देशित कर दें, खास तौर से चिकित्सा शिक्षा के मामले में. यह बहुत लोक महत्व का मामला है आप निर्देशित कर देंगे तो यह बड़ा हित होगा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि निश्चित तौर पर मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुये इस विषय पर सदन में चर्चा का पूरा ध्यान रखूंगा और आपकी जो सूचनाएं किसी प्रस्ताव के माध्यम से मेरे पास आई हैं, उन सबका जवाब मंगवा लिया जायेगा.

(2) विद्युत की कटौती एवं देयकों में अनियमितता होना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि –कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में 100 रुपये बिजली का बिल आम आदमी को देने को कहा था और हमने संबल योजना में 200 रुपये कहा था, लेकिन अब बिजली प्रदाय तो आधा हो गया, लेकिन बिल आधा नहीं हुआ है, हजारों के बिल पूरे प्रदेश में आ रहे हैं परंतु बिजली नहीं आ रही. हमने इस पर स्थगन और ध्यानाकर्षण दोनों दिये हैं. आप इस पर चर्चा जरूर कराएं.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस संबंध में 3 दिन पहले शून्यकाल के पहले यह बात उठाई गई थी और तब भी मैंने कहा था कि जो आमजन से जुड़े हुए विषय हैं. उनको जैसे-जैसे बजट सत्र के काम निपटते जाते हैं. तदुपरांत किसी माध्यम से निरन्तर लिया जायेगा.

3. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रदेश में विद्युत कटौती एवं विद्युत देयकों में अनियमितता पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में बहिर्गमन किया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य की रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पर्याप्त उपलब्धता न होने,

(2) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में राशि के अभाव में निर्माण कार्य न होने,

(3) श्री संजय यादव, सदस्य की जबलपुर जिले के सहजपुर स्थित मण्डी को चालू न किये जाने,

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधान सभा क्षेत्र गढ़पहरा सिद्धधाम मंदिर प्रांगण तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,

(5) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा नगर में नगर निगम अमृत योजना अंतर्गत बनाये गये उद्यानों का निर्माण घटिया श्रेणी का होने,

(6) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की रीवा जिले के मनगवां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने,

(7) श्री रामकिशोर कावंरे (नानो), सदस्य की परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की अनेक पंचायतों के हाई स्कूलों को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(8) श्री दिनेश राय "मुनमुन", सदस्य की सिवनी क्षेत्र के बण्डोल से कलार बांकी मार्ग का नवीनीकरण किये जाने,

(9) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य की चुरहट विधानसभा अंतर्गत स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के रिक्त पदों का पोर्टल पर रिक्त नहीं दर्शाये जाने तथा

(10) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की टीकमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र जतारा में कोर्ट के भवन एवं मजिस्ट्रेटों के आवास की व्यवस्था किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख (क्रमशः)

(2) डॉ.सीतासरन शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि श्री महेश राय, सदस्य द्वारा एक विशेषाधिकार की सूचना दी है कि एक एस.डी.एम. ने खड़े होकर विधायक को कमरे से उनको बाहर कर अपमानित किया है. माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में उल्लेख किया कि सूचना पर जानकारी प्राप्त कर उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का तेरहवां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(2) डॉ.गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का 61 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित पटल पर रखा.

(3) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, खनिज साधन मंत्री ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) के अंतर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार –

(क) जिला खनिज प्रतिष्ठान शहडोल एवं दमोह के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, तथा

(ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान छिन्दवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19

पटल पर रखे.

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(5) श्री जितू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, तथा

(ख) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 50 वां प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18,

पटल पर रखे.

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. यह विधेयक अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2019 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है. अनुमति प्राप्त विधेयक का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा.

8. ध्यानाकर्षण

(1) कुंवर विजय शाह, सदस्य ने उज्जैन जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत सहायक वार्डन की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री विनय सक्सेना, सदस्य ने ग्वालियर स्थित राज्य महिला अकादमी द्वारा प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित किये जाने की ओर खेल और युवा कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जितू पटवारी, खेल और युवा कल्याण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामकिशोर 'नानो' कावरे (जिला-बालाघाट)
(2) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(3) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(5) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(6) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(7) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(8) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(9) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(10) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)

(11) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-भोपाल नगर)
(12) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना नगर)
(13) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(14) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(15) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(16) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय (जिला-दमोह)

10. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि - आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित मांगों के बारे में प्रक्रिया यह रहेगी कि इन मांगों को अधिकृत मंत्री द्वारा एकजाई रूप से प्रस्तुत किया जायेगा. ये मांगें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत मंत्री श्री तरूण भनोत द्वारा प्रस्तुत की जायेंगी. तदुपरांत तीनों मंत्रियों से संबंधित इन मांगों पर एक साथ चर्चा होगी. तीनों विभागीय मंत्री माननीय सदस्यों द्वारा उनसे संबंधित विभागों की मांगों पर उठाये गये विषयों को नोट करेंगे तथा चर्चा के अंत में क्रमश: अपने-अपने विभाग से संबंधित मांगों पर जवाब देंगे.

12. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

(3) श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत श्री तरूण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए एक हजार, बारह करोड़, सैंतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 15	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए दो हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 21	लोक सेवा प्रबंधन के लिए इक्यासी करोड़, उनतालीस लाख, पचास हजार रुपये
अनुदान संख्या – 32	जनसम्पर्क के लिए चार सौ पचास करोड़, सात लाख, पिचासी हजार रुपये
अनुदान संख्या – 46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए दो सौ छियालीस करोड़, इकहत्तर लाख, बानवे हजार रुपये
अनुदान संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए एक हजार छह सौ छियासठ करोड़, छह लाख, तिरासी हजार रुपये
अनुदान संख्या – 51	अध्यात्म के लिए अन्ठानवे करोड़, बत्तीस लाख, अठासी हजार रुपये
अनुदान संख्या – 65	विमानन के लिए एक सौ सात करोड़, चौहत्तर लाख, छियालीस हजार रुपये
अनुदान संख्या – 70	प्रवासी भारतीय के लिए नब्बे लाख, तिरानवे हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या – 72	आनंद के लिए दो हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

(2) श्री कुणाल चौधरी
(3) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

13. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री नकुलनाथ, सांसद की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया.

14. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

(4) श्री निलय विनोद डागा
(5) श्री चेतन्य कुमार काश्यप
(6) डॉ. अशोक मर्सकोले
(7) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(8) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा मांगों पर चर्चा के लिए समय देने की मांग को लेकर बहिर्गमन किया.

16. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

(4) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 23	जल संसाधन के लिए छह हजार सात सौ तेरह करोड़, चौंसठ लाख, सत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए एक सौ बासठ करोड़, छियासी लाख, उनहत्तर हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या – 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए एक हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(2) श्री कुणाल चौधरी
(3) श्री जालम सिंह पटेल
(4) श्री निलय विनोद डागा

17. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जय सिंह मरावी, सदस्य द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 18	सर्वश्री आलोक चतुर्वेदी, राजेश शुक्ला	1 घण्टा
2.	क्रमांक -23	श्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव	1 घण्टा

श्री जय सिंह मरावी, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
(6) श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव
(7) श्री भारत सिंह कुशवाह
(8) श्रीमती झूमा सोलंकी
(9) श्री बहादुर सिंह चौहान
(10) श्री रामलाल मालवीय
(11) श्री रामलल्लू वैश्य
(12) श्री सुनील सराफ
(13) श्री हरिशंकर खटीक

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पीठासीन हुए.

(14) श्री गिर्राज डण्डौतिया
(15) श्री वीरेन्द्र रघुवंशी
(16) श्री संजय शर्मा
(17) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय
(18) श्री तरवर सिंह "बन्टू भैया"

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(19) श्री दिलीप सिंह परिहार
(20) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(21) श्री हरदीप सिंह डंग
(22) श्री देवीलाल धाकड़ "एडवोकेट"
(23) श्री नीलांशु चतुर्वेदी
(24) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय
(25) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

(26) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे
(27) डॉ. अशोक मर्सकोले

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

(5) श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 3	पुलिस के लिए सात हजार पांच सौ उनतालीस करोड़, बावन लाख, छत्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए सत्तावन करोड़, बारह लाख, आठ हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या – 5	जेल के लिए चार सौ तीस करोड़, सोलह लाख, इकहत्तर हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पीठासीन हुए.

(2) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(3) कुंवर विजय शाह
(4) श्री विनय सक्सेना
(5) श्री उमाकांत शर्मा
(6) श्री नीलांशु चतुर्वेदी
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान
(8) श्री महेश परमार
(9) श्री हरिशंकर खटीक
(10) श्री गिर्राज दण्डौतिया
(11) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
(12) श्रीमती झूमा सोलंकी
(13) श्री दिलीप सिंह परिहार

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

19. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि पुलिस (गृह) एवं जेल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

20. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

(14) श्री लक्ष्मण सिंह
(15) श्री ग्यारसीलाल रावत
(16) श्री वीरेन्द्र रघुवंशी
(17) श्री प्रताप ग्रेवाल
(18) श्री अनिरूद्ध माधव मारू
(19) श्री मुरली मोरवाल
(20) श्री हरदीप सिंह डंग
(चर्चा पूर्ण)

21. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि मान्य परम्परा है कि जब विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होती है तो उस विभाग के प्रमुख अधिकारी अधिकारी दीर्घा में मौजूद रहते हैं. गृह विभाग की जब से चर्चा हो रही है न तो पुलिस महानिदेशक और न ही पुलिस महानिरीक्षक (जेल) उपस्थित है. इसलिए हम आसंदी से अनुरोध करते है कि वे इस पर अपनी व्यवस्था दें.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि माननीय नरोत्तम मिश्र का व्यवस्था का प्रश्न वास्तव में गंभीर है. आसंदी ने पूर्व में भी निर्देश दिये हैं कि विभागीय प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष उनके विभागों की चर्चा के समय उपस्थित रहेंगे. जानकारी प्राप्त हुई है कि डी.जी.पी. विशेष मीटिंग में है लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी परिस्थिति हो विधान सभा से ज्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग कहीं हो नहीं सकती. क्योंकि यह प्रजातंत्र का मंदिर है और नौकरशाही अगर इस तरह का काम करेगी तो मैं गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और गृह सचिव से अनुरोध करूंगा कि इस पर वे आवश्यक कार्यवाही करें.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जब जनरल बजट पर भाषण हो रहा था उस समय आसंदी ने सभी विभागाध्यक्षों और विभागीय प्रमुख सचिवों को उपस्थित रहने के निर्देश दिये थे, परन्तु ऐसा लगता है कि आसंदी के निर्देशों का पालन समुचित रूप से नहीं हो रहा है. मैं आसंदी से अनुरोध करता हूं कि आज आप व्यवस्था दें कि जब डी.जी.पी. और डी.जी. (जेल) उपस्थित हो तभी मंत्री जी उत्तर प्रस्तुत करें. तो ये एक भविष्य के लिए अच्छा उदाहरण बनेगा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - सदन के निर्देशों का अगर जो पालन नहीं करेगा, निश्चित रूप से मुझे अपनी किताबें पलटाना पड़ेंगी. 6 दिन पहले मैंने, आपने और माननीय संसदीय मंत्री ने, मुझे यह बात ज्ञात करवाई थी कि अधिकारी दीर्घा की कुर्सियाँ खाली हैं. अब ऐसी परिस्थिति में सदन चल रहा हो, जिस विभाग की मांग संख्या चल रही हो, मेरा मानना है कि नीचे से लेकर उच्च स्तर तक जिसका भी उत्तरदायित्व रहता है, उसे हाजिर रहना चाहिए. मेरी एक दलील मैं आपको याद दिला दूँ, जब मैं बिजली मंत्री था, बिजली विभाग पर चर्चा चल रही थी ओ.एण्ड एम. मेंबर मिस्टर भोंडे, विभाग की चर्चा में हाजिर नहीं थे, मैंने उनको नोटिस दिया था और धारा 11 ए के तहत उन पर कार्यवाही की गई थी. हमारा सदन लोकतंत्र का मंदिर है. अगर उसके लिए ऐसी गफलतबाजी की जाएगी तो निश्चित रूप से ये सदन की अवमानना की परिधि में आता है. मैं इसलिए आगाह कर रहा हूँ संबंधित जितने भी विभाग के अधिकारी हैं भविष्य में ऐसी बात न दोहराएँ. यहाँ पर नया विधायक कोई क्षेत्र की बात उठा रहा है और वह बात उनके संज्ञान में जाना चाहिए. मैं इस चर्चा को कल विराम करवाऊँगा.

अपराह्न 8.39 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 28, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 18 जुलाई, 2019